

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां ( राजस्थान )

पीठासीन अधिकारी- श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या- 34/2014

बउनवान

सरकार जयें तहसीलदार, अन्ता जिला-बारां (राज०)

(प्रार्थी)

बनाम

1. भरोसी बाई पुत्री मोडू, जाति भील, निवासी पलायथा, तहसील अन्ता, जिला बारां (राज०)  
(अप्रार्थीया)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :- 1. परोकार सरकार

( प्रार्थी )

आदेश दिनांक- 18.01.2023



1- प्रार्थी सरकार जयें तहसीलदार, अन्ता ने रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पलायथा में सेटलमेन्ट सम्मत 2010-27 के अनुसार ग्राम पलायथा की जमाबन्दी सम्मत 2010-27 में खसरा नं. 725 रकबा 552 बीघा 7 बिस्वा किस्म गै.मु. नदी दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि में से खसरा नंबर 1370/725 रकबा 2 बीघा किस्म तीर दिनांक 10.04.1966 को आवंटी मोडू पुत्र भैरू जाति भील निवासी पलायथा को आवंटन/नियमन की जाकर नामांतरण संख्या 379 से गैर खातेदारी दर्ज हुई। नामांतरण संख्या 979 दिनांक 08.12.1977 से उक्त आराजी गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज हुई। वर्तमान सेटलमेन्ट सम्मत 2044-2063 में भूप्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने बन्दोबस्त कार्य मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नंबर 1370/725 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा के नवीन खसरा नं. 571 रकबा 0.40 है। किस्म तीर कायम किये जाकर अवैधानिक रूप से गोपाली बेवा मोडू कौम भील निवासी पलायथा के खाते दर्ज कर दी है, जो भू राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों को विधि विरुद्ध मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-16 के तहत अवैधानिक है तथा डी०बी० सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त आवंटन/नियमन को शून्य घोषित कर भूमि पूर्ववत नदी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

2- प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीया को जयें सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीया बावजूद सूचना निरन्तर अनुपस्थित रही है। अतः हमने एकपक्षीय बहस परोकार सरकार की सुनकर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

3- हमने एक पक्षीय बहस परोकार सरकार की सुनी। बहस के दौरान परोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम पलायथा में सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्मत 2010-27 में खसरा नं. 725 रकबा 552 बीघा 7 बिस्वा किस्म गै.मु. नदी दर्ज रिकार्ड है। इसमें से खसरा नंबर 1370/725 मि. रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा किस्म तीर दिनांक 10.04.1966 को आवंटी मोडू पुत्र भैरू जाति भील निवासी पलायथा को आवंटित हुई थी। वर्तमान सेटलमेन्ट सम्मत 2044-2063 में भूप्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने बन्दोबस्त कार्य मिलान

*Handwritten signature*  
जिला कलक्टर  
बारां (राज०)

क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नंबर 1370/725 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा के नवीन खसरा नं. 571 रकबा 0.40 है. किस्म तीर कायम किये जाकर अवैधानिक रूप से गोपाली बेवा मोडू कौम भील निवासी पलायथा के खाते दर्ज कर दिया है, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त आवंटन/नियमन को शून्य घोषित कर भूमि पूर्ववत गै.मु. नदी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

4- हमने एक पक्षीय परोकार सरकार पर मनन किया जथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि ग्राम पलायथा में सेटलमेन्ट सम्वत 2010-27 के अनुसार ग्राम रायथल की जमाबन्दी सम्वत 2010-27 में खसरा नं. 725 रकबा 552 बीघा 7 बिस्वा किस्म गै.मु. नदी दर्ज रिकार्ड है। इसमें से खसरा नंबर 1370/725 मि. रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा किस्म तीर दिनांक 10.04.1966 को आवंटी मोडू पुत्र भैरू जाति भील निवासी पलायथा को आवंटित की जाकर सेटलमेन्ट 2044-2063 में भू.प्रबन्ध विभाग द्वारा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नंबर 1370/725 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा के नवीन खसरा नं. 571 रकबा 0.40 है. किस्म तीर कायम किये जाकर उक्त भूमि को अवैधानिक रूप से अप्रार्थीया के पति के खाते दर्ज कर दिया। इस प्रकार जिस वक्त भूमि आवंटित/नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म गै.मु. नदी खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। अप्रार्थीया के पति को उक्त आराजी का आवंटन/नियमन नियम विरुद्ध हुआ है। तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। इसलिये हम उक्त आवंटन/नियमन को विधि विरुद्ध मानते हुए, आवंटन/नियमन निरस्त करने के लिये रेफरेंस माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

5- परिणामस्वरूप, प्रार्थी जयें तहसीलदार, अन्ता का रेफरेंस प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थी के वर्तमान में वाके ग्राम पलायथा में दर्ज आराजी खसरा नंबर 571 रकबा 0.40 है. किस्म तीर को जो मूल रूप से सेटलमेन्ट पूर्व खसरा नंबर 725 मि. रकबा 552 बीघा 7 बिस्वा किस्म गै. मु. नदी से बना है जिसका मोडू पुत्र भैरू जाति भील निवासी पलायथा को गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-82 के अन्तर्गत रेफरेंस माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार अन्ता को आदेश दिये जाते हैं कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

7- तहसीलदार, अन्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि प्रश्नगत आवंटित आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंस होने का नोट लाल स्याही से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें।

आदेश आज दिनांक 18.01.2023 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(नरेन्द्र गुप्ता)  
जिला कलेक्टर, बारा (राज.)